आखिरी जांच: 20 अक्टूबर 2026 · Directorate of Medical Education and Research

Rajarshri Chhatrapati Shahu Maharaj Fee Reimbursement Scheme

चिकित्सा और संबद्ध कोर्स के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए ट्यूशन और परीक्षा फीस का 50 प्रतिशत, यदि परिवार की आय 8 लाख रुपये से कम हो।

क्या मिल सकता है

ट्यूशन फीस और परीक्षा फीस की 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति।

किसके लिए है

सरकारी अनुदानित, निगम और निजी गैर अनुदानित कॉलेजों में MBBS, BDS, BAMS, BHMS, BPTH, BOTH, B.Sc नर्सिंग, BUMS, BP&O और BASLP में EBC लाभार्थी श्रेणी के प्रवेश वाले विद्यार्थी, परिवार की आय 8,00,000 रुपये से कम।

मुख्य शर्तें

- परिवार की सालाना आय 8,00,000 रुपये से कम
- सामान्य श्रेणी या SEBC श्रेणी में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी पात्र हैं
- पात्र कोर्स: सरकारी अनुदानित, निगम और निजी गैर अनुदानित कॉलेजों में MBBS, BDS, BAMS, BHMS, BPTH, BOTH, B.Sc नर्सिंग, BUMS, BP&O और BASLP

दस्तावेज़

- अधिवास प्रमाणपत्र
- HSC और SSC की अंकतालिकाएं, नए आवेदकों के लिए
- माता-पिता का आय प्रमाणपत्र
- पिछले साल की अंकतालिका
- शपथपत्र
- आधार कार्ड
- विद्यार्थी का पैन कार्ड (वैकल्पिक)
- पिता का पैन कार्ड
- माता का पैन कार्ड (वैकल्पिक)

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://mahadbt.maharashtra.gov.in/SchemeData/SchemeData?str=E9DDFA703C38E51A85D4A975C5D5142BC657258E23D57FBDAD7167545F0B41EF
आधिकारिक आवेदन: https://mahadbt2.maharashtra.gov.in/
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/maharashtra/mahadbt-rajarshri-shahu-maharaj-fee-reimbursement-scheme-medical/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।